

कार्यालय कलेक्टर जिला सागर एवं पदेन उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग
प्रारंभिक सूचना

(देखिये धारा 11)

क्रमांक/66 अ/82/17-18/7713

सागर, दिनांक 27/09/2019

मौजा चिरई पट.ह.नं.-22 तहसील केसली

:: सार्वजनिक सूचना ::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत चिरई एवं जरूवा माइनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक-763/PS-MS/MPPCB/SEAC/Tor-RVP(139)/2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716/2013) पंजीकृत किया जा चुका है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत चिरई एवं जरूवा माइनर नहर निर्माण
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
 2. तहसील : केसली
 3. ग्राम : चिरई
 4. पट.ह.नं.- : 22
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 1.03 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल (रकवा हेक्टे. में)	अर्जित भूमि (रकवा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	कैलाश वल्द परसराम, सुरेन्द्र वल्द राजकुमार, सत्यभान, वीरेन्द्र सिंह नाबालिग वल्द रघुनाथ वली पिता रघुनाथ सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	52	2.330	0.200	
2	रघुनाथ सिंह, राजकुमार सिंह, कैलाश सिंह पिता परसराम साकिन देह	भूमिस्वामी	76	1.5630	0.050	
3	महराज सींग पिता खिलानसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	151	0.310	0.030	

4	मलखान, हरनाम पिता प्रेमसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	173/1	0.400	0.100	
5	हरगोविन्द वल्द जमना प्रसाद साकिन महका	भूमिस्वामी	283/1	0.400	0.040	
6	राजकुमार वल्द परसराम साकिन देह	भूमिस्वामी	289/1	0.670	0.070	
7	लोकेन्द्र सिंह वल्द कैलाश सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	289/3	0.670	0.040	
8	चन्द्ररानी जोजे मुलामसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	292/2	1.210	0.130	
9	प्रीतम, इन्द्राजसींग, वीरेन्द्रसींग वल्द मुलामसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	292/3	1.000	0.090	
10	आशुतोष, अभिनाथ नाबालिग वल्द व वली राजेश वल्द पुरुषोत्तम साकिन जैतपुर	भूमिस्वामी	292/6	0.600	0.070	
11	परसोत्तम वल्द बाबूलाल साकिन जैतपुर	भूमिस्वामी	292/7	0.160	0.020	
12	राजेश कुमार वल्द पुरुषोत्तम साकिन जैतपुर	भूमिस्वामी	293	1.150	0.180	
13	बदनसींग पिता कल्याणसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	152/1	0.140	0.010	
योग:-			13 किता	10.603	1.03	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी, एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।


अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

₹

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।


मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार


(संदीप साहू)

अनुविभागीय अधिकारी
सोनपुर परियोजना उपसंभाग
केसली जिला सागर (म.प्र.)


(पी.एन.तिवारी)

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग क्र.2 केसली
जिला सागर (म.प्र.)


(सी.एच.वर्मा)

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) देवरी (रा.)
देवरी, जिला-सागर

(प्रीति मैथिल नायक)

कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला सागर (म.प्र.)

पृ.क्र./३६ अ/८२/१४-१८/७७१३

दिनांक २७/०९/२०१९

प्रतिलिपि:-

- 1- आयुक्त जन संपर्क कार्यालय मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सार्वजनिक सूचना की 03 प्रति प्रेषित कर अनुरोध है कि सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन दो समाचार पत्रों में, जिनमें से एक प्रादेशिक भाषा में होगा, में प्रकाशन कराकर कृपया प्रकाशित समाचार पत्रों की प्रतियां इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 2- नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री अरेरा हिल्स मैदा मिल रोड़ भोपाल की ओर सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन राजपत्र में कराकर प्रति उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रेषित।
- 3- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर की ओर सूचनार्थ एवं सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन निर्धारित समयावधि में पूर्ण किये जाने हेतु।
- 4- प्रभारी अधिकारी, जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र सागर की ओर जिले की वेबसाईड पर अपलोड कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु।
- 5- प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 6- अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी जिला सागर की ओर मूल प्रकरण सहित सूचनार्थ एवं सार्वजनिक सूचना की एक प्रति कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा कराये जाने हेतु तथा परियोजनांतर्गत प्रभावित भूमि के सर्वेक्षण उपरांत समयावधि में प्राप्त आपत्तियों के निराकरण प्रतिवेदन एवं धारा 19 के तहत जारी होने वाली सूचना प्ररूप सहित प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किये जाने हेतु।
- 7- तहसीलदार केसली। सूचना की एक प्रति कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा करावे तथा एक प्रति ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर तथा एक प्रति प्रभावित क्षेत्र के सहज दृश्य स्थल पर चस्पा कराकर एवं ढोढी पिटवाकर पालन प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर संलग्न प्रकरण कराये साथ ही प्रभावित भूमियों का भू-अभिलेख दो मास की अवधि के भीतर अद्यतन कराकर पालन प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी, देवरी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
- 8- जिला नाजिर, जिला कार्यालय सागर की ओर कार्यालय के सार्वजनिक सूचना पटल पर चस्पा कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु।

कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला-सागर (म.प्र.)